बउनवान ..... बनाम .....

धारा ..... मुकदमा नं. ..... ऑनलाईन नं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी हुक्म की तार
19.11.2025	बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता खातेदार के रूप में दर्ज है। अप्रार्थीगण एवं अपने पिता खातेदार के रूप में क्यों और कैसे दर्ज हुए या सही दर्ज हुए या गलत दर्ज हुए यह विचारण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर निर्णित किया जाना है। यदि प्रतिवादी कम 1 ता 4 वादीगण के दादा के वैध वारिस नहीं हुए, गलत रूप से या षडयन्त्र पूर्वक नाम दर्ज हो गा है और प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का रहन दान बेचान अन्तरण कर दिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। प्रथक दृष्टया मामला ~~वादी~~ आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में हें सुविधा का सन्तुलन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से अपूर्णीय क्षति की भी संभावना है। अतः उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खेडलीदेव पटवार मण्डल गण्डावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा के ख0नं0 123 रकबा 0.04है0, ख0नं0 124 रकबा 0.20है0, ख0नं0 38 रकबा 0.33है0, ख0नं0 39 रकबा 0.09है0, ख0नं0 40 रकबा 0.94है0, ख0नं0 42 रकबा 0.84है0, ख0नं0 72 रकबा 1.43है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.28है0, एवं ख0नं0 76 रकबा 1.43है0 ख0नं0 77 रकबा 1.20है0, ख0नं0 79 रकबा 1.65है0, ख0नं0 93 रकबा 0.18है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.46है0 में वाद के निर्णय तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति रखे। एक–दूसरे के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी इटावा	